न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर।

उपस्थित – मनीष कुमार शुक्ला,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर।

निर्णय का दिनांक : 01.04.2026

S. Tr. Case No.-209/2024

CIS –209/2024

सिकरौल थाना काण्ड संख्या–45/2024 दिनांक 03.04.2024
अंतर्गत धारा–302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

परिवादी / सूचिका	प्रीति कुमारी, प.अ.नि., थाना–सिकरौल, जिला–बक्सर।
अभियोजन की तरफ से	श्री विनोद कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	अजय पाण्डेय, पिता– स्व0 रामेश्वर पाण्डेय, उम्र– लगभग 39वर्ष, साकिन–पाण्डेयपुर, थाना–सिकरौल, जिला–बक्सर।
बचाव पक्ष की तरफ से	1. श्री अजीत कुमार मिश्रा, (विद्वान अधिवक्ता)

घटना की तारीख	03.04.2024
प्राथमिकी की तिथि	03.04.2024
आरोप पत्र समर्पित किये जाने की तिथि	17.07.2024
आरोप गठित किये जाने की तिथि	25.09.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	18.10.2024
निर्णय में नियत किये जाने की तिथि	19.03.2026
निर्णय की तिथि	01.04.2026

दण्ड आदेश पारित किये जाने की तिथि	कोई नहीं।

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त संख्या	01
अभियुक्त का नाम	अजय पाण्डेय,
गिरफ्तारी की तिथि / आत्मसमर्पण की तिथि	24.04.2024
जमानत पर मुक्त किये जाने की तिथि	कोई नहीं
आरोपित धारा	302/34 भा.द.वि और 27 आर्म्स एक्ट
क्या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है या दोष–सिद्ध किया गया है	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्ड	कोई नहीं।
विचारण के क्रम में कारा में बिताई गई अवधि अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये	लागू नहीं।

निर्णय

1. अभियुक्त अजय पाण्डेय को धारा– 302/34 भा.द.वि एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध के विचारण के लिए भेजा गया था।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के सूचक प्रीति कुमार, प.अ.नि. का अपने स्वलिखित बयान में कथन है कि दिनांक 03.04.2024 को सिकरौल थाना सनहा संख्या–97/24 के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वह सशस्त्र बल के साथ समय 6:05 बजे सिकरौल थाना अंतर्गत ग्राम–पाण्डेयपुर पहुची तो देखा कि एक महिला उम्र करीब 40 वर्ष की हत्या गोली मारकर कर दी गई है।

मृतिका महिला का नाम ममता देवी पता चला। मृतिका की हत्या के संबंध में उसकी बेटी भूमि कुमारी और महिमा कुमारी से पूछताछ करने पर बताया गया कि उनकी मॉ ममता देवी सुबह करीब 5:00 बजे घर से बाहर शौच करने निकली थी तभी अभियुक्त अजय पाण्डेय और विजय पाण्डेय कुछ दूरी पर घेर लिया तथा विजय पाण्डेय उसकी मां को पकड़ लिए एवं अजय पाण्डेय गोली मार दिए। गोली लगने से उनकी मॉ वहीं पर गिर गई उसके बाद अजय पाण्डेय एवं विजय पाण्डेय भाग गए। गोली लगने से ममता देवी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतिका के शव का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट अत्यंत परीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर सदर अस्पताल बक्सर में मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करा कर शव को मृतिका के रिस्तेदार का सुपुर्द किया गया। सूचक प्रीति कुमारी के स्वलिखित बयान के आधार पर यह प्राथमिकी सिकरौल थाना काण्ड संख्या–45/2024 दर्ज हुआ तथा अनुसंधान प्रारंभ हुआ ।

3. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त अजय पाण्डेय के विरुद्ध धारा– 302/34 भा.द.वि. एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मूल आरोप पत्र संख्या–45/2024 न्यायालय में समर्पित किया गया तथा अभियुक्त विजय पाण्डेय के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। तत्पश्चात् विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी बक्सर के द्वारा उक्त मामले का संज्ञान धारा – 302/34 भा.द.वि. एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट के तहत दिनांक 19.07.2024 को लिया गया तथा वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया। दिनांक 25.09.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–302/34 भा.द.वि. 1860 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया।

4. घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से कुल 04 साक्षियों का परीक्षण इस वाद में किया गया है, जो निम्न है –

अभियोजन साक्षी संख्या–1 प्रीति कुमारी,

अभियोजन साक्षी संख्या–2 भुमी कुमारी,

अभियोजन साक्षी संख्या–3 महिमा कुमारी,

अभियोजन साक्षी संख्या– 4 डॉ0 अमलेश कुमार,

5. अभियुक्त ने द0प्र0सं0 की धारा 313 के अपने बयान में स्वयं को निर्दोष कहा है। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है।

6. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गए उक्त आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे रह कर साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. अभियोजन साक्षी संख्या–1 प्रीति कुमारी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घ टना दिनांक 03.04.2025 की है। समय करीब 5:25 बजे सुबह की है। सूचना मिली कि पाण्डेयपुर गॉव में एक महिला की हत्या हो गई है। सशस्त्र बल के साथ वहां पहुचे तो देखे कि महिला का शव पड़ा हुआ है उसका नाम ममता देवी पता चला। आसपास के लोगों से पूछताछ किया एवं मृतिका की बेटी महिमा एवं भूमि से पूछताछ किया तो बताई कि सुबह 5:00 बजे मेरी मॉ शौच के लिए बाहर निकली थी तो मेरे चाचा अजय पाण्डेय और विजय पाण्डेय मेरी मॉ को पकड़ लिए और अजय पाण्डेय मेरी मॉ को गोली मार दिए जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया और पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर थाना में सनहा संख्या–97/24 दिनांक 03.04.2024 दर्ज किया गया था उसी के सत्यापन पर उसने घटनास्थल पर प्रस्थान किया। साक्षी ने स्वलिखित आवेदन जो उसने सदर अस्पताल बक्सर में लिखा था, को पहचाना जिसे प्रदर्श–पी. –1/पी.डब्लू–1 अंकित किया गया। उसका हस्ताक्षर बिंदू 'ए' पर था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार किया गया जिसे प्रदर्श–पी.–2/पी.डब्लू–1 अंकित किया गया। उसका हस्ताक्षर बिंदू 'ए' पर था। काराधीन अभियुक्त को वी.सी. के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे गवाह ने पहचाना।

प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि प्राथमिकी मैंने सदर अस्पताल बक्सर में लिखा है। वहां पर कितने लोग इकट्ठे थे सबका नाम नहीं बता सकती हूं मुझे सूचना थाना में 5:25 बजे मिली थी। सूचना का सनहा मैंने दर्ज

किया और सत्यापन हेतु निकली। थाना में मेरे वरीय पदाधिकारी ने सनहा दर्ज किया था। मैं सनहा की सत्यापन में गई थी। सनहा कौन दर्ज करवाया था, मैं नहीं बता सकती हूं। जब मैं घटनास्थल पर पहुंची तो वहां पर बहुत लोगों का भीड़ इक्ट्ठा था। मृतिका की बच्ची ने घटना कारित करने वाले का नाम बताया था और घटनास्थल की भीड़ से भी लोगों ने घटना कारित करने वाले का नाम बताया। मृतिका का घर घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर है। डेड बॉडी के अलावा घटनास्थल पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। घटना कारित करने वाले का नाम किसी ने नहीं बताया। मृतिका के बेटी ने घटना कारित करने वाले का नाम बताया। मृतिका का चरित्र संदिग्ध था वह अपने पति के मृत्यु के केस में जेल जा चुकी थी, यह मुझे बाद में पता चला था। घटनास्थल की चौहद्दी मैं नहीं बता सकती हूं। घटनास्थल से खून लगा कपड़ा और खून लगी मिट्टी मैंने जब्त नहीं किया था। मैंने अपने आंखों से कोई घटना नहीं देखा था।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–2 भुमि कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की तारीख मुझे जानकारी नहीं है। इस केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने अभियुक्त अजय पाण्डेय को पहचाना।

प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि अभियुक्त मेरे चाचा है, इसलिए पहचानती हू।

9. अभियोजन साक्षी संख्या–3 महिमा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 03.04.2024 की है। उस दिन मेरी मॉ को गोली मार दिया गया। लगभग 5:00 बज रहा था। उस समय मैं अपने घर पर सोई हुई थी। मेरी मॉ शौच करने गई थी।मैं किसी को गोली मारते हुए नहीं देखी। कौन गोली मारा है, मुझे जानकारी नहीं है। अभियुक्त अजय पाण्डेय को बी.सी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसे देखकर साक्षी ने पहचान किया। अभियोजन के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि इस केस के अभियुक्त मेरे चाचा है, इसलिए पहचानती हूं।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–4 डॉ0 अमलेश कुमार का मुख्य परीक्षण में कथन है कि On 03-04-2024, I was posted at Sadar Hospital Buxar as Medical Officer. On same day at 11:00 am Post Mortem was done on the dead body of Mamta devi. Post mortem was done by Dr. Amlesh Kumar. I am the member of Postmortem Team. Post mortem was done before me. I Identify post mortem report which bears my Signature. The Post Mortem report was Marked Exhibit- P3/P.W.-4 and his signature was on Point- "A". The report was prepared in his presence. He was aware about the content of the reports.

प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मैं एम.एस. नहीं हूं केवल एम.बी.बी.एस हूं। मैंने इस केस में पोस्टमोर्टम किया है। बॉडी में Rigor mortis नहीं था। Rigor mortis 5–6 घंटे के बाद शुरू हो जाता है। पुरे शरीर में Rigor mortis 24 hours तक रहता है। 4th grade के employee ने डेड बॉडी को कट किया था। 4th grade के employee के पास कट करने का सामान नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस में है। डयूटी में व्यस्तता होने के कारण पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में समय अंकित नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम्पयूटराईज बना था। यह कम्पयूटर ऑपरेटर के द्वारा बनाया गया था। रिपोर्ट का रफ बना था या नहीं मुझे पता नहीं है। योगेन्द्र बाबू मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवा थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवाते समय एक बार चेंज हुआ है। यह पोस्टमोर्टम रिर्पोट सदर अस्पताल में तैयार हुआ है। सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस 6–7 किलोमीटर दूर है। 4th grade employee जिसने बॉडी कट किया था मुझे

उनका नाम याद नहीं है लेकिन दो स्टॉफ थे। कितनी दूरी से फायर किया गया था मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं फॉरेसिंक एक्सपर्ट नहीं हूं।

परिणाम

11. इस वाद में अभियुक्त अजय पाण्डेय के विरूद्ध धारा– 302/34 भा.द.वि एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध के लिए आरोप का गठन किया गया था ।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि उन्होंने अपराध का दिनांक, समय व स्थान सिद्व कर दिया है। अभियुक्त की मोडसअपरेंडी को भी उन्होंने सिद्ध किया है। अभियुक्त की पहचान को भी अभियोजन ने सिद्ध किया है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपने मुकदमें को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन के केस में बहुत सारी कमियां है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त को रिहा किया जाये।

धारा–302 भा0द0वि0–

13. पी0डब्लू–1 प्रीति कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–1 में घटना की तिथि को 03.04.2025 बताया। जबकि उसके स्वलिखित बयान के अनुसार घटना की तिथि 03.04.2024 थी। घटना की तिथि अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्व है। जिसे साक्षी ने गलत बतया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पारा–21 में कथन किया है कि उसने अपनी ऑखो से कोई घटना नहीं देखी। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के पारा–4 में कहा कि मृतिका की बेटी महिमा और भूमि / पी.डब्लू–3 और 2 ने उसे बताया कि अभियुक्त अजय पाण्डेय ने उसकी मॉ को गोली मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने स्वलिखित आवेदन को (जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई,) पहचाना तथा उसे पी0–1/पी0डब्लू0–1 अंकित किया गया। उक्त स्वलिखित आवेदन को देखने से भी पता चलता है कि पी. डब्लू0–1 को दिनांक 03.04.2024 को समय 6:05 बजे मृतक ममता देवी की हत्या के विषय में पता चला तथा उसका शव उसे मिला। मृतिका की पुत्रियों भूमि कुमारी

/पी.डब्लू–2, महिमा कुमार/ पी.डब्लू–3 ने उसे अभियुक्त अजय पाण्डेय द्वारा उसकी माँ मृतक ममता देवी को गोली मारने की बात बताई।

न्यायालय समझता है कि पी.डब्लू–1 का बयान हियर से के कैटेगरी में आता है जो धारा–60 साक्ष्य अधिनियम के आलोक में एडमिसिबल नहीं है। In Sakatar Singh & Ors vs State Of Haryana AIR 2004 SC 2570, it was held by the Hon’ble Supreme Court of India that hearsay evidence was inadmissible. The evidence which is not based on personal knowledge of the witness cannot be the foundation for basing a conviction.

पी.डब्लू–1 ने अपनी आँखो से अभियुक्त अजय पाण्डेय को अपराध कारित करते हुए नहीं देखा।

14. पी0डब्ल्यू–2 / भूमि कुमारी ने अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया। अभियोजन ने उसका प्रति–परीक्षण किया परन्तु उसने अभियुक्त के विरूद्ध कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दिया। उसने अभियुक्त अजय पाण्डेय को पहचाना किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के पारा–9 में उसने कहा कि अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए उसे पहचानती है।

15. पी0डब्ल्यू–3 / महिमा कुमारी ने पूर्ण रूप से अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 03.04.2024 को 5:00 बजे उसकी माँ को गोली मार दिया गया परंतु उसने घटना का समय सुबह या शाम को स्पष्ट नहीं किया। अपने मुख्य परीक्षण के पारा–2 में उसने कहा कि उसने गोली मारते हुए किसी को नहीं देखा, गोली कौन मारा है, उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन ने उसका प्रति–परीक्षण किया परन्तु उसने अभियुक्त के विरूद्ध कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दिया। उसने अभियुक्त अजय पाण्डेय का पहचाना किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के पारा–8 में उसने कहा कि अभियुक्त उसका चाचा है, इसलिए उसे पहचानती है। पी0डब्ल्यू–4 /डॉ0 अमलेश कुमार ने मृतिका ममता देवी का पोस्टमार्टम किया। डॉ0 मृत्यु के कारण का साक्षी है, परंतु वह तथ्य का साक्षी नहीं है।

16. न्यायालय समझता है कि किसी भी अपराध को सिद्ध करने के लिए अपराध की तिथि, समय तथा स्थान आवश्यक तत्व है। हालाकि पी0/डब्लू–2 महिमा कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 03.04.2024 को 5:00 बजे उसकी मॉ को गोली मार दिया गया परंतु उसने घटना का समय सुबह या शाम को स्पष्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त अभियोजन के किसी भी साक्षी ने घटना का स्थान स्पष्ट नहीं किया। पी.डब्लू–1 ने अपनी ऑखो से अभियुक्त अजय पाण्डेय को अपराध कारित करते हुए नहीं देखा। पी.डब्लू–1 ने अपराध की तिथि को भी गलत बताया।

अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की मोडसआपरेंडी नहीं बताया जिसके द्वारा उसने तथाकथित रूप से मृतक ममता कुमारी की हत्या की। अभियोजन ने मृतक की हत्या से अभियुक्त का संबंध/ लिंक स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया। अभियुक्त के विरूद्ध डायरेक्ट या सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। The Hon'ble Supreme Court of India in Sujit Biswas v. State of Assam 2013 (12) SCC 406, has observed that Suspicion, however grave it may be, cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that `may be' proved, and something that 'will be proved'. In a criminal trial, suspicion no matter how strong, cannot and must not be permitted to take place of proof. This is for the reason that the mental distance between `may be' and `must be' is quite large, and divides vague conjectures from sure conclusions. In a criminal case, the court has a duty to ensure that mere conjectures or suspicion do not take the place of legal proof.

17. इस वाद में कांड के अनुसंधानकर्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव को भी अभियोजन ने इग्जामिन नहीं किया। In Sipahi Tiwary v. State of Bihar (Patna High Court Judgement dayed 17 April 2025), the Hon'ble High Court observed

that non examination of Investigation Officer creates a material lacuna in prosecution case, since he could have adduced expected evidence.

In Shiv Kumar Singh v. State of Bihar (Patna High Court Judgement dated 22 November 2025), the Hon'ble High Court observed that non examination of Investigation Officer proves fatal for the prosecution for the reason that the improvements & variations were not contradicted as surfaced during the testimony of prosecution witnesses.

अतः अनुसंधानकर्ता को अभियोजन द्वारा इग्जामिन न करना अभियोजन के विरूद्ध जाता है।

18. इस वाद में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को सिद्ध करने के लिये डायरेक्ट या सरकमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। इसलिए अभियोजन धारा– 302 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध को सिद्ध करने में असफल रहा है।

19. इस वाद में अभियोजन ने कम्यूनिटि ऑफ परपस और कॉमन डिजाईन अभियुक्त अजय पाण्डेय और अन्य अभियुक्त के विरूद्ध सिद्ध नहीं किया है। उनके बीच प्रायर मिटिंग ऑफ माइंड के संबंध में या कॉमन इंटेंशन के ऑन द स्पर ऑफ द मोमेन्ट में डेवलप होने के विषय में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्त अजय पाण्डेय और अन्य अभियुक्त के मध्य धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन होने के विषय में साक्ष्य नहीं है।

धारा– 27 आर्म्स एक्टः–

20. अभियोजन के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त अजय पाण्डेय द्वारा फायर आर्म का प्रयोग करके मृतक ममता देवी की हत्या करते हुए उसे नहीं देखा। इस वाद में किसी फायर आर्म की बरामदगी नहीं है और इस वाद में किसी कार्टेज के खाली खोखा की बरामदगी भी नहीं है। इस कारण यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त अजय पाण्डेय द्वारा फायर आर्म का प्रयोग किया गया। अभियुक्त अजय पाण्डेय के विरूद्ध डायरेक्ट या सरकमस्टांसियल इविडेंस नहीं है। अभियोजन धारा– 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध को सिद्ध करने में असफल रहा है।

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर</u>

Session Trial No-209/ 2024 , State vs. Ajay Pandey

<u>आदेश</u>

उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त विजय पाण्डेय को धारा–302/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध के आरोप से इस मुकदमें से रिहा किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0 /–

(मनीष कुमार शुक्ला)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

01.04.2026

ह0 /–

(मनीष कुमार शुक्ला)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

01.04.2026

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, बक्सर

Session Trial No-209/ 2024 , **State vs. Ajay Pandey**

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षियों की सूची

(A) अभियोजन के तरफ से –

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सिय साक्षी व अन्य
साक्षी संख्या–1	प्रीति कुमारी	सूचक
साक्षी संख्या–2	भूमि कुमारी	पक्षद्रोही साक्षी
साक्षी संख्या–3	महिमा कुमारी	पक्षद्रोही साक्षी
साक्षी संख्या–4	डॉ0 अमलेश कुमार	चिकित्सक

(B) बचावपक्ष के तरफ से साक्षी – कोई नहीं।

(C) न्यायालय साक्षी– कोई नहीं।

अभियोजन / बचावपक्ष / न्यायालय प्रदर्श की सूची–

(A) अभियोजन की तरफ से

कमांक	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श–पी.1 / पी.डब्लू 1	सूचक का स्वलिखित आवेदन
2	प्रदर्श–पी.1 / पी.डब्लू 1 पर बिंदू ए	सूचक का स्वलिखित आवेदन पर उसका हस्ताक्षर
3.	प्रदर्श–2 / पी.डब्लू 1	मृतक ममता देवी का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट

4.	प्रदर्श–2 / पी.डब्लू 1 पर बिंदु ए	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर सूचक का हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–3 / पी.डब्लू 4	मृतक ममता देवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
6.	प्रदर्श–3 / पी.डब्लू 4 पर बिंदू ए	ममता देवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पी.डब्लू 4 का हस्ताक्षर

(B) बचावपक्ष की तरफ से – कोई नहीं।

(C) न्यायालय प्रदर्श– कोई नहीं।

(D) वस्तु प्रदर्श– कोई नहीं।

निर्णय की तिथि	01.04.2026
निर्णय में नियत किए जाने की तिथि	19.03.2026
अपलोडिंग की तिथि	01.04.2026
अपलोडेड द्वारा	तनुज कुमार